न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 166/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/307**
दायर दिनांक :– 30.06.2025 **निर्णय दिनांक :– 24.04.2026**

01. सवाईराम पुत्र भूराराम जाति नाई निवासी प्रतापनगर शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
02. तिलोकराम पुत्र सुखाराम जाति नाई निवासी प्रतापनगर शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
03. अणची पत्नी माधुराम पिता मूलाराम जाति नाई निवासी प्रतापनगर तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थीगण–

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार, बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि खसरा नम्बर 410/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि खसरा नम्बर 410/4 रकबा 1.0441 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि खसरा नम्बर 410/7 रकबा 1.6187 हैक्टेयर सरहद मौजा प्रतापनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज है और प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है तथा इसी कब्जा काश्त अनुसार ही मौके पर प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणी, पानी के टांके एवं पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है जिसमें प्रार्थीगण अपने–अपने परिवार सहित बारह मास निवास करते आ रहे है तथा कब्जा काश्त अनुसार ही प्रार्थीगण ने पत्थर के खूंटे रोपकर तारबंदी कर रखी है लेकिन वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना के तहत पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के ही प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त के विपरित तरमीम कर दी जो सरासर गलत एंव विधि विरूद्व है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की तरमीम करवाने हेतु कभी भी किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र एवं सहमति नहीं दी है। इसलिये वादीगण ग्राम प्रतापनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 410/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 410/4 रकबा 1.0441 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 410/7 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि के भू–नक्शा में की गई विधि विरूद्व तरमीम को निरस्त करवा कर मौके पर कब्जा व काश्त अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है।

Satya
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने जवाब में कथन किया कि ग्राम प्रतापनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 410/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 410/4 रकबा 1.0441 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 410/7 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त की जाकर नक्शा लट्ठा अनुसार किया जाना उचित हैं। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम प्रतापनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 410/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 410/4 रकबा 1.0441 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 410/7 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा, नक्शा लट्ठा इत्यादि का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का कानासर की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम प्रतापनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 410/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 410/4 रकबा 1.0441 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 410/7 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का कानासर की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
अतिरिक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)